

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 1816]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

का.आ. 2344(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा (3) की उपधारा (3) (ग) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल को तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में, दिनांक 01.08.2015 से 31.07.2017 तक, या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-35012/2/91-वित्त-II]

आलोक चन्द्र, सलाहकार (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

S.O. 2344(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby re-appoints, w.e.f. 01-08-2015 till 31-07-2017 or until further orders whichever is earlier, Shri B.C. Tripathi, CMD, GAIL India Limited as a member of the Oil Industry Development Board.

[F. No. G-35012/2/91-Fin.II]

ALOK CHANDRA, Advisor (Finance)